रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239334
CG-DL-E-04102022-239334

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4468] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944
No. 4468] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4676(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है ;

और रफीक नाई @ सुल्तान पुत्र मोहम्मद अफसर, जो मूल रूप से नाका मझारी, तहसील मेंढर, जिला पुंछ, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, इस समय पाकिस्तान में रह रहा है, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन/जम्मू-कश्मीर गजनवी फोर्स का लांचिंग कमांडर है ;

और तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 41 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और उक्त रफीक नाई @ सुल्तान स्वापक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा पुंछ-राजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों की घुसपैठ के पर्यवेक्षण के कार्य में सम्मिलित है ;

और उक्त रफ़ीक़ नाई @ सुल्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकी कृत्यों को पुनर्जीवित करने हेतु भारतीय क्षेत्र में प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ मे शामिल है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि रफीक नाई @ सुल्तान आतंकवाद में सम्मिलित है और उक्त रफीक नाई @ सुल्तान को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"45. रफीक नाई @ सुल्तान" ।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4675(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4676(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Rafiq Nai @Sultan, son of Mohd Afsar, belogning orignially to Naka Majhari, Tehsil Mendhar, District Poonch, Jammu and Kashmir, presently residing in Pakistan, is a launching commander of Tahreek-ul-Mujahideen/Jammu Kashmir Ghaznavi Force;

And whereas, Tahreek-ul-Mujahideen is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said at Act at serial No. 41;

And whereas, the said Rafiq Nai @Sultan, is involved in supervision of narcotics and weapons smuggling and infiltration of terrorists in Poonch-Rajouri Sector;

And whereas, the said Rafiq Nai @Sultan, is involved in infiltration of trained Pakistani terrorists into Indian territory to revive terrorist activities in Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Rafiq Nai @Sultan is involved in terrorism and the said Rafiq Nai @Sultan is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 44 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"45. Rafiq Nai @Sultan".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4675(E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.04 19:14:00 +05'30'